

आर इंसी | REC Limited (A Government of India Enterprise)

(Formerly Rural Electrification Corporation Limited) CIN: L40101DL1969GOI005095

NOTICE OF BOARD MEETING AND RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND

Pursuant to Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of REC Limited (Formerly Rural Electrification Corporation Limited) is scheduled to be held on Tuesday, February 4, 2020 inter-alia to consider and approve Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019 and to consider a proposal for declaration of Interim Dividend, if any, for the financial year 2019-20.

Further, as per Company's Code of Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Designated Persons and their Immediate Relatives, the trading window is closed from January 1, 2020 to February 6, 2020 for dealing in REC Equity Shares and REC Listed Debt Securities. The above information is also available on the website of the Company i.e. www.recindia.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Further, in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is informed that the Company has fixed Wednesday, February 12, 2020 as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of Interim Dividend for the Financial Year 2019-20, if any, declared by the Board of Directors in its Meeting scheduled to be held on Tuesday, February 4, 2020. Further, the said Interim Dividend, if declared by the Board, will be paid/dispatched on Monday, February 24, 2020 to those shareholders whose names appear (a) as Beneficial Owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Wednesday, February 12, 2020 in respect of shares held in electronic form; and (b) as Members in the Register of Members on Wednesday, February 12, 2020 in respect of physical shares.

Those investors who have not claimed any dividend amount pertaining to financial year 2012-13 and thereafter, are advised to contact the Company's Registrar & Transfer Agent (R&TA) i.e. KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited), Unit : REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Tel.:91-40-67161500 or e-mail the details at einward.ris@kfintech.com or balaji.reddy@kfintech.com for claiming such amounts. Further, unpaid/unclaimed amount of dividend till financial year 2011-12 has already been transferred by the Company to IEPF and accordingly, any claims in respect of such amounts are to be made directly to the IEPF Authority as per statutory provisions. For REC Limited

Sd/-

Place: New Delhi

(J. S. Amitabh)

Date: January 28, 2020

Executive Director & Company Secretary

IMPORTANT NOTICE: To support the 'Green Initiative' of the Company, members are requested to register/update their e-mail IDs with Company/Depositary Participant(s)/Company's R&TA which will be used for sending official documents through e-mail in future.

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644

E-mail: complianceofficer@recl.in Website: www.recindia.com



आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

अंतरिम लाभांश के लिए बोर्ड मीटिंग एवं रिकॉर्ड तिथि की सचना

सेबी (सुचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 एवं अन्य लागु विनियमों के अनुपालन में एतद्वारा सचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त कंपनी के तिमाही और नौ माही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर चर्चा एवं अनुमोदन तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लामांश. यदि कोई हो. की घोषणा के लिए आरईसी लिमिटेड (पर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 04 फरवरी, 2020 को आयोजित होनी निर्घारित है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी की आचार संहिता के अनुसार नामित व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों द्वारा कारोबार के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो आरईसी इक्विटी शेयरों और आरईसी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभृतियों में व्यापार के लिए 01 जनवरी 2020 से 06 फरवरी 2020 तक के लिए बंद है। उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.recindia.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं जहां कंपनी के

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी ने मंगलवार 4 फरवरी. 2020 को आयोजित की जाने वाली अपनी बैठक में, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया जाना है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश की अदायगी के प्रयोजनार्थ शेयरघारकों की पात्रता की गणना हेत्, बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, तो उक्त अंतरिम लामांश, उन शेयरघारकों को सोमवार, 24 फरवरी, 2020 को भुगतान/डिस्पैच किया जाएगा जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (रियो) द्वारा दिए जाने वाले विवरण में लामार्थी स्वामियों के रूप में; तथा (ख) प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों के संबंध में बधवार, 12 फरवरी, 2020 को कारोबारी समय की समाप्ति तक सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

जिन निवेशकों ने वित्त वर्ष 2012-13 और उसके उपरांत के वर्षों में किसी लाभांश राशि का दावा नहीं किया है. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऐसी राशियों का दावा करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड), यूनिटः आर्र्ड्सी, सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, ईंटराबाद-500032 टेलीफोन:91-40-67161500 पर संपर्क करें अथवा einward.ris@kfintech.com अथवा balaji.reddy@kfintech.com पर अपना विवरण ई-मेल कर दें। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2011-12 तक की अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश राशि कंपनी द्वारा आईईपीएफ को पहले ही अंतरित कर दी गई है, तदनुसार, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि के संबंध में कोई भी दावा सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण में किया जाए। कृते आर्ख्सी लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 28 जनवरी, 2020

₹/-(जे. एस. अमिताभ)

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

महत्त्वपूर्ण सूचनाः कंपनी के 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों)/ कंपनी के आर एंड टीए के पास दर्ज / अद्यतन करा दें, जिसका प्रयोग भविष्य में कार्यलयी दस्तावेजों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए किया जाएगा।

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4. स्कोप कांप्लेक्स. 7. लोदी रोड. नई दिल्ली-110003 फोन: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644

ई-मेलः complianceofficer@recl.in, वेबसाइटः www.recindia.com